सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.09.2023

मोटरसाईकिल चोर गिरफ्तार, चोरी की 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मोटरसाईकिल चोरी के आरोपी अभियुक्त–चित्रांश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त ने दिनांक 28.08.2023 को जिला अस्पताल गोण्डा से उक्त मोटरसाईकिल चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में वादी भोलानाथ पाण्डेय पुत्र रामसूरत पाण्डेय नि0 दुल्हापुर गजाधर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. चित्रांश श्रीवास्तव पुत्र अखिलेश श्रीवास्तव नि0 पयागपुर पो0 नौबस्ता थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–767/23, धारा 379,411 भादवि थाना को0नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 01 अदद चोरी की मोटरसाईकिल स्पेलेण्डर।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
उ0नि0 पिन्टू कुमार यादव मय टीम।

<u>14 वर्षीय गुमशुदा बालक को थाना नवाबगंज पुलिस ने मात्र 05 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को किया सुपुर्द–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत अभियान चलाकर अपहृत/गुमशुदा बच्चों की शीघ्र बरामदगी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे ।

आज दिनांक 06.09.2023 को थाना नवाबगंज में श्री राम भगत सिंह पुत्र विद्यासागर नि0 ग्राम विश्वनोहरपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गयी कि उनका 14 वर्षीय घर से नाराज होकर कही चला गया है। उक्त सूचना पर थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अथक प्रयास कर मात्र 05 घण्टे के अन्दर गुमशुदा बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। अपनो से मिलकर बच्चे व परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटी तथा परिजनो ने गोण्डा पुलिस को बहुत–बहुत धन्यवाद दिया। उक्त सराहनीय कार्य की आमजनमानस में भी काफी सराहना की जा रही है।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.09.2023

लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने का सहयोगी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कौड़िया पुलिस ने लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के सहयोगी अभियुक्त–बलधारी उर्फ अजय चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना कौड़िया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लडकी के बहला–फुसलाकर भगा ले जाने में अभियुक्त कुलदीप की सहायता की थी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. बलधारी उर्फ अजय चौहान पुत्र जवाहर लाल नि0 नेवादा हासिमपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–247/23, धारा 363,366,376(3),342,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो ऐक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 प्रेमानन्द मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.09.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से लड़की को बहला–फुसला कर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को हुई 02 वर्ष का कारावास व रू0 5,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व रू0 5,000/– के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में अभियुक्त बैधू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना कौड़िया के पैरोकार का0 प्रेमप्रकाश विश्वकर्मा के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष–09 गोण्डा ने 02 अवधि की सजा व रू0 5,000/– के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. बैधू पुत्र रामलखन पासी नि0 दामोदरपुर नरायनपुर कला थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 242/1998, धारा 363,366 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.09.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 10–10 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 30,000–30,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को 10–10 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 30,000–30,000/– के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 03 अभियुक्तों–01. आशोक कुमार, 02. छोटू मिश्रा, 03. छोटू मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता सुश्री अनीता साहू, मॉनिटरिंग सेल व थाना को0 देहात के पैरोकार हेड0 का0 रामजीत पटेल के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गोण्डा ने 10–10 वर्ष की कठोर सजा व रू0 30,000–30,000/– के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. आशोक कुमार पुत्र रामू मिश्रा नि0 खालेपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. छोटू मिश्रा पुत्र राम किशोर नि0 खालेपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. सुभाष मिश्रा पुत्र किशोर मिश्रा नि0 खालेपुरवा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 349/1993, धारा 376,452,114,109 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.09.2023

'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से बलवा व मारपीट करने के 07 आरोपी अभियुक्तों को हुई 02–02 वर्ष का कारावास व रू0 10,000–10,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप बलवा कर मारपीट करने के 07 आरोपी अभियुक्तों को 02–02 वर्ष का कठोर कारावास व रू0 10,000–10,000/– के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा बलवा व मारपीट करने के आरोप में 07 अभियुक्तों–01. सत्यराम, 02. शंकर, 03. तुलसीराम, 04. रामचन्द्र, 05. बरसाती, 06. त्रिभुवन, 07. रामनरेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जिसमें शासकीय अधिवक्ता श्री अवनीश धर द्विवेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना खोड़ारे के पैरोकार का0 रवि उपाध्याय के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पंचम गोण्डा ने 02–02 वर्ष की सजा व रू0 10,000–10,000/– के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. सत्यरामपुत्र निरवहन नि0 हिन्दा नरायनपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. शंकर पुत्र सीताराम नि0 हिन्दा नरायनपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
03. तुलसीराम पुत्र रामफेरे नि0 हिन्दा नरायनपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
04. रामचन्द्र पुत्र कल्पनाथ नि0 हिन्दा नरायनपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
05. बरसाती पुत्री कल्पनाथ नि0 हिन्दा नरायनपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
06. त्रिभुवन पुत्र भगवानदास नि0 हिन्दा नरायनपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
07. रामनरेश पुत्र रामदास नि0 हिन्दा नरायनपुर थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 43/2000, धारा 147,148,323,307,504,332 भादवि व 07 सी0एल0ए0 ऐक्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।